बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सकारण आदेश

सं0सं0–18(प्रो0को0)/न्याय–01–15/2015– 145 प्रो० को० ,स्वा०/पटना, दिनांक– 19.1.18

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18583/2013 डा0 सुरेश कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिनांक– 24.10.2013 को पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

> **"As these facts would be required to be examined by the respondents for giving him the parity and/or same treatment as of Dr. Sushil Kumar Singh, this court without expressing any opinion on such claim of the petitioner would simply direct the Principal Secretary of Health Department to examine as to whether firstly, the case of the petitioner is identical to that of Dr. Sushil Kumar Singh and Secondly, as to whether the scheme of take over of the dispensary of the District Board also envisaged counting of the Previous period of service of the person whose services where taken over.**
>
> **This court expects that the Principal Secretary of the Health Department will take his final decision in the case of the petitioner as early as possible preferably within a period of six months from date of receipt of this order which has to be also accompanied with representation of the petitioner highlighting his grievance with documentary evidence, if any.**
>
> **With the aforementioned observatiqn and direction, this application is disposed of".**

2. वर्ष 1981 में जिला परिषद् के कर्मियों को सरकारी सेवा में लेने संबंधी पत्रांक–संख्या–10/प्रान्त1–03/80–490(10) स्वा0 दिनांक– 16.03.1981 का मुख्य अंश निम्नवत् है–

> **" सरकारीकरण की तिथि से संबंधित औषधालयों की सभी चल एवं अचल संपति सरकारी सम्पत्ति हो गयी है तथा औषधालयों में वर्तमान सभी कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारी जो सरकारी सेवा के योग्य हो, सरकारीकरण की तिथि से सरकारी सेवा में ले लिए गये है। उनकी जिला परिषद् की सेवाएँ को सरकारी सेवा में गिनती नहीं होगी।**

3. बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक– 512(14) दिनांक– 22.03.1993 का मुख्य कार्यकारी अंश का उद्धरण निम्नवत् है–

> **"राज्य सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 (क) के तहत चिकित्सा पदाधिकारियों/अन्य कोटि के कर्मचारी द्वारा दिनांक– 01.04.1949 या नियुक्ति की तिथि जो बाद में हो, से जिला परिषद् में की गई सेवा को पेंशन प्रदायी मानने का निर्णय लिया है। पेंशन/उपादान हेतु पर्षद की सेवा की गणना इस शर्त के साथ की जायेगी कि जिला पर्षद से प्राप्त अंशदायी भविष्य निधि की राशि सूद सहित चिकित्सा पदाधिकारियों/ अन्य कोटि के कर्मचारियों द्वारा एक मुस्त राजकोष में जमा कर दी जायेगी और उसके उपरांत ही उनकी सेवा निवृति या निधन के समय प्रचलित पेंशन/उपादान तथा पारिवारिक पेंशन के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।"**

4. डा० सुशील कुमार सिंह या उसके पूर्व जिन्हें भी यह लाभ दिया गया है, वह लाभ स्वास्थ्य विभाग के उक्त पत्र के आलोक में दिया गया प्रतीत होता है।

5. उपर्युक्त परिस्थिति में सम्यक् विचारोपरांत डा0 सुरेश कुमार शर्मा की सेवा की गणना जिला परिषद्, भगवानपुर रत्ती, वैशाली में योगदान की तिथि दिनांक– 04.12.1979 से करते हुए प्रथम ए0सी0पी0 दिनांक– 09.08.1999 के प्रभाव से एवं द्वितीय ए0सी0पी0 दिनांक– 04.12.2003 के प्रभाव से प्रदान करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि डा0 शर्मा द्वारा जिला पर्षद से प्राप्त अंशदायी भविष्य निधि की राशि सूद सहित उनके द्वारा एकमुस्त राजकोष में जमा कर दी गयी हो।

6. महालेखाकार से अनुरोध है कि डा0 शर्मा द्वारा उक्त साक्ष्य प्राप्त कर नियमानुसार सेवा की गणना जिला परिषद्, वैशाली में योगदान की तिथि दिनांक– 04.12.1979 से करते हुए प्रथम ए0सी0पी0 दिनांक– 09.08.1999 के प्रभाव से एवं द्वितीय ए0सी0पी0 दिनांक– 04.12.2003 के प्रभाव से प्रदान करें।

इस आदेश की प्रति डा0 सुरेश कुमार शर्मा को निबंधित डाक से भेज दी जाये।

ह0/–
(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–18(प्रो0को0)/न्याय–01–15/2015– 14 प्रो0 को0 पटना, दिनांक– 19.1.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र निर्गत होने के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी ए0सी0पी0 स्वीकृति हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करते है एवं नियमानुसार प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे।

प्रतिलिपि– अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित क्षेत्रीय अपरनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर /सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी– 2, 3, 9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– डा0 सुरेश कुमार शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, फलेरिया निवारण ईकाई, मुजफ्फरपुर, पता– पिता– स्व0 भारत शर्मा, r/o सर गणेश दत्त नगर, पोस्ट– भगवानपुर चट्टी, थाना– सदर, जिला– मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सरकारी अधिवक्ता संख्या–10 (जी0पी0–10), पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिपिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/1/18
(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।